

## कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग विद्युत खण्ड भरतपुर

## निविदा सूचना सं० 03/2026-27

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से मय दोष निवारण एवं उनके सुधार (डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड) शर्त सहित सा.नि.वि. विद्युत राजस्थान जयपुर में उपयुक्त विद्युत श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में ऑनलाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती है।

क्र. स.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत रु. (लाखों में)	धरोहर राशि	धरोहर राशि	निविदा शुल्क रूपये	आर. आई. एस.एल. शुल्क	कार्य करने की अवधि
			रूपये	रूपये			
			0.50%	2.00%			
1	2	3	4	5	6	6	8
1	Electrical Utility Shifting and Street Light Pole work from Astha Circle to Police Line Tiraha Bajariya Distt Sawai Madhopur.	128.02	64,010.00	2,56,040.00	1,000	2,000	06 Month
2	Electrical Utility Shifting and Street Light Pole work from Megha Highway to Girls Hostel Bajariya Distt Sawai Madhopur.	9.00	4,500.00	18,000.00	500	500	03 Month
3	Electrical Utility Shifting and Street Light Pole work from Megha Highway to Indra Market Distt Sawai Madhopur.	20.00	10,000.00	40,000.00	500	500	03 Month
4	Electrical Utility Shifting and Street Light Pole work from Megha Highway to Sabji Mandi Distt Sawai Madhopur.	23.00	11,500.00	46,000.00	500	500	03 Month
5	Electrical Utility Shifting and Street Light Pole work from Chouth Ka Barwara Bus Stand to Prem Mandir Distt Sawai Madhopur.	35.00	17,500.00	70,000.00	500	500	03 Month
		215.02	1,07,510.00	4,30,040.00			

निविदा प्रपत्रों को वेब साईट ["www.eproc.rajasthan.gov.in"](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक निविदा को इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाईट ["www.eproc.rajasthan.gov.in"](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) पर जमा कराएँ।

निविदा हेतु पात्र संवेदकों की श्रेणी

किसी भी सीमा तक	: ई-I श्रेणी, संवेदक
रूपये 50 लाख तक	: ई-II श्रेणी, संवेदक
रूपये 20 लाख तक	: ई-III श्रेणी, संवेदक
रूपये 7.50 लाख तक	: ई-IV श्रेणी, संवेदक

- निविदा प्रपत्रों हेतु आवेदन/डाउनलोड की अवधि दिनांक 29.05.2026 प्रातः 9.30 बजे से दिनांक 08.06.2026 को सायं 6.00 बजे तक होगी।
- प्री बिड मीटिंग दिनांक 03.06.2026 को प्रातः 11 बजे खण्ड कार्यालय में अधिशाषी अभियन्ता के समक्ष आयोजित की जावेगी।
- (अ) निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेब साईट ["www.eproc.rajasthan.gov.in"](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) पर दिनांक 29.05.2026 प्रातः 9.30 बजे से दिनांक 08.06.2026 सायं 6.00 बजे तक जमा कराये जा सकते हैं एवं प्राप्त वित्तीय निविदायें, इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेब साईट ["www.eproc.rajasthan.gov.in"](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) पर, संबंधित अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय में दिनांक 09.06.2026 को सायं 3.00 बजे खोली जायेगी।

यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय निविदायें खोली जायेगी।

(ब) निविदा जमा करवाने के बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑन लाइन होगी।

(स) निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सारी निविदाएँ नहीं खोली जा सकती है तो उसके अगले कार्य दिवस शेष निविदाएँ खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।

(द) लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 331 में वर्णित पद्धति पोटेन्शियल असैसमेन्ट के अर्न्तगत निविदाएँ आमंत्रित की जाती है।

- कार्यों के सम्मुख उपरोक्तानुसार वर्णित कार्यालय में संवेदक द्वारा दिनांक 29.05.2026 से दिनांक 08.06.2026 तक किसी भी कार्य दिवस में 11.00 बजे पूर्वान्ह से 6.00 बजे अपरान्ह तक निविदा प्रपत्र को देखा जा सकता है अथवा वेबसाईट ["www.eproc.rajasthan.gov.in"](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) भी देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्रों में निविदाकर्ता के लिए योग्यता सूचना तथा निविदाकर्ता की पात्रता, प्लान, स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग विभिन्न कार्यों की मात्रा एवं दरों का विवरण, नियम, शर्तें एवं अन्य विवरण वर्णित है।

5. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि, आर.आई.एस.एल. राशि के चालान की प्रति जो कि नवीन तिथि में जारी की हुई हो, एवं नियमानुसार वैध जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण-पत्र, संवेदक पंजीकरण आदेश, वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक राज0 जयपुर द्वारा जारी वैध अनुज्ञा प्रमाण पत्र (डिजिटल) जो कि निविदा खोले जाने की तिथि तक वैध हो अपलोड कराना आवश्यक है, एवं विभाग में पंजीकृत संवेदक को द्वारा विभागीय पुनर्विलोकन की प्रति भी अपलोड कराना आवश्यक है।
6. निविदा प्रशुल्क :- वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.1(1)एफ.डी./जी.एफ.एण्ड ए.आर./2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं. 19/2011) के अनुसार 50.00 लाख ₹0 तक की राशि के कार्यों के लिए 500/- व 50.00 लाख से 150.00 लाख तक के कार्यों के लिए 1000/- ₹0 की राशि निविदा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी जो कि वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के आदेश क्रमांक 6(5)वित्त/सा.वि.ले.नि./2018 दिनांक 27.04.2020 के अनुसार ई-प्रोक्वोरमेंट पोर्टल पर ई-निविदाओं के प्रेषण के लिए एक ही चालान से बोली दस्तावेज मूल्य, धरोहर राशि एवं आरआईसीएल फीस को ऑनलाईन ई-ग्रास सिस्टम के माध्यम से जमा करवाया जाना आवश्यक होगा। इसके अन्तर्गत ई-ग्रास पर एक ही चालान से बोली दस्तावेज मूल्य (निविदा शुल्क), धरोहर राशि एवं आरआईसीएल फीस जमा कराना होगा जिनका विवरण निम्न बजट मदों के माध्यम ई-ग्रास पर चालान से निम्न प्रकार जमा कराना होगा जिसकी प्रक्रिया जारी आदेश में उल्लेखित है। परिपत्र की प्रति संलग्न है।  
(Division Code No. 17435 X.En. PWD Electric Dn. Bharatpur)  
RISL फीस सिविल विभागों की निविदाओं हेतु बजट मद 8658-00-102-(16)-[02] निर्माण विभाग  
निविदा शुल्क हेतु बजट मद 0075-00-800-52-01 अन्य मद  
धरोहर राशि हेतु बजट मद 8443-00-108-00-00  
निविदा शुल्क एवं RISL फीस प्रतिदाय के योग्य नहीं होंगे।
7. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक F-3-15(C)/Enlistment Rules/Section-III/D-2028 Date 14-12-2021, एफ.3.15(सी)/Enlistment Rules/अनु.3/डी-2062 दिनांक 16.12.2021 एवं एफ.3.15(सी)/पंजीयन नियम/अनु-3/डी-2063 दिनांक 16.12.2021 एवं एफ.3.(2)वित्त/साविलेनि/2020 दिनांक 10.07.2025 द्वारा स्थायी पंजीयनों के पुनर्विलोकन संबंधित आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी।
8. विभाग के पत्रांक एसई(आर)/ईई जीजीपी -II/डीएलपी-2020-21/डी-136 Dated 30.12.2020 के अनुसार 10 लाख एवं उससे अधिक के कार्य का दोष निवारण एवं उनके सुधार(डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड) का उत्तरदायित्व कार्य पूर्णता के पश्चात 5 वर्ष तक रहेगा।
9. यदि संवेदक का नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त संबंधी व उनके पति/पत्नी) कार्य से संबंधित वृत्त अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
10. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवा नियुक्ति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहाँ सेवाएँ लेने से पहले अनुमति नहीं ली है तो अनुबंध रद्द किया जा सकेगा।
11. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है। आर.पी.डब्ल्यू. ए-100 की समस्त शर्तें मान्य होगी।
12. आर.आई.एस.एल. की 50.00 लाख ₹0 तक की राशि के कार्यों के लिए 500/- एवं 50.00 लाख से 100.00 लाख तक राशि के कार्यों के लिये 1500/- एवं 100.00 लाख से 500.00 लाख तक के लिये 2000/- एवं 500.00 लाख से अधिक के लिये 2500/- की राशि निविदा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी।
13. आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 75 ए के अनुसार अनबैलेन्स बिड के लिए अतिरिक्त परफॉर्मंस गारंटी ली जावेगी।
14. बिड दस्तावेज के साथ संलग्न RTTP के Annexure A,B,C and D को निविदादाताओं द्वारा अपलोड करना अनिवार्य है।
15. निविदा दाता द्वारा तकनीकी निविदा में अपलोड किये गये दस्तावेज (नोटरी द्वारा सत्यापित मूल स्टाम्प आदि) आदि सत्यापन हेतु विभाग द्वारा मांगने पर भौतिक रूप से जमा कराने होंगे।
16. GST के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक 44 दिनांक 04.05.2023 की पालना की जावेगी।
17. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है। आर.पी.डब्ल्यू.ए-100 की समस्त शर्तें मान्य होगी।
18. मुख्य अभियन्ता (QC) सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक 292 दिनांक 07.01.2019 की पालना निविदादाताओं द्वारा अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी।
19. ई-टेन्डरिंग के लिये निविदा दाता हेतु निर्देश
  - अ. इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदा दाता निविदा प्रपत्रों को इन्टरनेट साइट "<http://eproc.rajasthan.gov.in>" से डाउनलोड (Down load) कर सकते हैं।
  - ब. निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साइट "<http://eproc.rajasthan.gov.in>" पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट - 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आयेगा। निविदा दाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदा दाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
  - स. निविदा दाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
  - द. ऑन लाइन निविदायें निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपरोक्त क्रम संख्या 3 के अनुसार खोली जायेगी।
  - य. इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गयी है।
  - र. कोई भी टेंडर इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
  - ल. टेंडर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाइन दर्ज करें

  
 मुख्य अभियन्ता  
 सानिवि विद्युत खण्ड भरतपुर